& Filialm

पोस्ट बाक्स नं0 1050, कानपुर- 208 024

दूरभाष : 2582851-53 फैक्स : (0512) 2580797

वेबसाईट : www.upsidc.com ई मेल : feedback@upsidc.com

सन्दर्भ सं0

/ एसआईडीसी / आईए / एचओ /

दिनांक

## -: कार्यालय आदेश :-

निगम में वर्तमान में लागू वार्षिक दर पुनरीक्षण की व्यवस्था पर चर्चा करते हुये निदेशक मण्डल ने अपनी 277वीं बैठक निम्न आंशिक संशोधन किये है-

## (1) क्षेत्रीय स्तर पर दर पुनरीक्षण प्रस्ताव हेतु समिति-

क्षेत्रीय कार्यालय से प्रेषित किये जाने वाले दर के प्रस्ताव अब निम्न समिति के माध्यम से प्रस्तावित कराते हुये क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अग्रसारित किये जाएगें।

(क) परिक्षेत्रीय अपर/सयुंक्त उद्योग निदेशक

अध्यक्ष

(ख) सम्बन्धित उप जिलाधिकारी

सदस्य

(ग) सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०

सयोजक सदस्य

(घ) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता,

सदस्य

उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०

(ड़) लेखाधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि० सदस्य

## मुख्यालय स्तर पर समिति—

मुख्यालय में क्षेत्रीय स्तर से प्राप्त दरों के प्रस्ताव निम्न समिति द्वारा विचारित करते हुये अनुमोदन हेतु प्रबन्ध निदेशक के समक्ष रखे जाएगें।

(क) सयुंक्त प्रबन्ध निदेशक

अध्यक्ष

(ख) वित्त नियंत्रक

सदस्य

(ग) प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग

सदस्य

(घ) प्रभारी, कास्टिंग सेल

सदस्य

(ड) प्रभारी, अभियत्रंण अनुभाग

सदस्य

इसके अतिरिक्त निगम के निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्धारित किया है कि दर पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 6909/18-2-25(33)/88 दिनांक 26.11.87 के शेष प्राविधान यथावत लागू होगें एवं प्रत्येक वर्ष प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूखण्डों का दर पुनरीक्षण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही विलम्बतम 31 मई तक सुनिश्चित किया जाए। सम्बन्धित शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है।

कृपया उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(मोहम्मद इपत्तखारूद्दीन) प्रबन्ध निदेशक

सन्दर्भ सं० १९३-९८/एसआईडीसी/आईए/एचओ/स्विन्छि १८०/०-/। दिनांक २०००/०-। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर
- 2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
- 3. समस्त अधिकारी / कर्मचारी, औ० क्षे० अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,मुख्यालय

(वेद प्रकाश) संयुक्त प्रबन्ध निदेशक